न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम बिक्रमगंज।
अग्रिम जमानत आवेदन सं0– 143/2026
आदेश

26.05.2026 यह अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक अभियुक्त रिजवान उर्फ सिनु की ओर से दाखिल किया गया है, जिसे भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406, 420, 504, 506, 34 के अधीन दर्ज नासरीगंज थाना कांड सं0 156/2024 में गिरफतार किए जाने की आशंका है तथा उक्त वाद वर्तमान में विद्वान अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम, बिक्रमगंज, रोहतास के न्यायालय में लंबित है। आवेदन की प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक को दी गई है।

उक्त अग्रिम जमानत आवेदन पर आवेदक अभियुक्त की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री युगल किशोर सिंह को सुना, सूचक की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री चित्तरंजन सिंह को सुना एवं अभियोजन की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री श्रीधन कुमार तिवारी को सुना।

अभियोजन का वाद संक्षेप में यह है कि दिनांक 07.01.2024 को अभियुक्तगण आफताब अंसारी, रिजवान उर्फ सीनू, खुशरु परवेज एवं चंदन कुमार ने रेत के व्यापार में लाभ का प्रलोभन देकर सूचक सैयद शेरजहां से 10,00,000/–रुपए निवेश करने को कहा। अभियुक्तों के कहने पर सूचक ने कुल 5,12,000/–रुपए पे फोन एवं चेक के माध्यम से दिए। आगे अभियोजन का वाद यह है कि अभियुक्तों ने सूचक की उक्त राशि हड़प ली तथा मांगने पर टालमटोल करने लगे। आगे अभियोजन का वाद यह है कि दिनांक 19.04.2024 को जब सूचक ने अभियुक्तों से अपना पैसा वापस मांगा, तो अभियुक्तों ने उसके साथ गाली–गलौज किया एवं जान से मारने की धमकी दी।

आवेदक अभियुक्त की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता को सुना। आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक अभियुक्त की ओर से पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय, पटना या सत्र न्यायालय में कोई भी अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया गया है। आगे आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक अभियुक्त निर्दोष है। उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। उसे इस वाद में झूठा फंसाया गया है। आगे आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक अभियुक्त का एक आपराधिक इतिहास है, जिसका निपटारा किया जा चुका है। अभियोजन का पूरा वाद झूठा और मनगढ़ंत है क्योंकि जैसा कि अभियोजन ने कहा है वैसी कोई घटना घटित नहीं हुई है। आगे आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक अभियुक्त के विरुद्ध धोखाधड़ी का कोई विनिर्दिष्ट अभियोग नहीं है। आवेदक अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए आरोप अस्पष्ट और सामान्य है। अतः आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदक अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना की है।

अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना। उन्होंने आवेदक अभियुक्त के अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया है तथा यह कहा है कि आवेदक अभियुक्त

लगातार
26.05.2026

के विरुद्ध संगठित रूप से सूचक को प्रलोभन देकर उससे पांच लाख बारह हजार रुपए लेने का अभियेाग है। अतः उन्होंने आवेदक अभियुक्त के अग्रिम जमानत आवेदन को अस्वीकृत किए जाने की प्रार्थना की है।

सूचक के विद्वान अधिवक्ता ने भी आवेदक अभियुक्त के अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया है।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से यह पता चलता है कि आवेदक अभियुक्त प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त है। अभिलेख पर आवेदक अभियुक्त का एक आपराधिक इतिहास है, जिसका निपटरा हो चुका है। आवेदक अभियुक्त के विरुद्ध संगठित रूप से सूचक को प्रलोभन देकर उससे पांच लाख बारह हजार रुपए लेने का अभियेाग है। केस दैनिकी में आवेदक अभियुक्त के विरुद्ध यह साक्ष्य आया है कि सूचक ने आवेदक अभियुक्त के कहने पर खुशरू परवेज के बैंक खाते में पैसा डाला था।

अतः एतस्मीनपूर्व वर्णित तथ्यों, वाद की परिस्थितियों एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक के कथनों पर विचार करने के पश्चात मैं आवेदक अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर मुक्त करना उचित नहीं समझता हूं, तद्नुसार आवेदक अभियुक्त का अग्रिम जमानत आवेदन **अस्वीकृत** किया जाता है।

लेखापित

अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, बिक्रमगंज।